ज्ञा0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2019.............दिनांक-

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० बिहार, पटना
22 NOV 2019
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना
4136
21/11/19

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा के ज्ञापांक-1360 दिनांक-20.08.2019 द्वारा सूचित किया गया कि जयगोविंद सिंह हाई स्कूल, दिघवारा, सारण में फुटबॉल स्टेडियम(चहारदीवारी सहित) का कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि-01.12.2018 के बाद भी दिनांक-17.08.2019 तक मात्र 85% कार्य ही संवेदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली द्वारा कराया गया है। इसके लिए कार्यपालक अभियंता द्वारा बार-बार पत्र भेज कर संवेदक को निदेश दिये जाने के बाद भी कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा कोई अभिरूचि नहीं दिखाई जा रही है। कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को कार्य में शिथिलता दिखाने के कारण डिबार भी कर दिया गया है। संवेदक के डिबार की समयावधि काफी दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लिये जाने के कारण जिला स्तरीय एवं विभागीय बैठकों में उच्चाधिकारियों से कार्यपालक अभियंता को फटकार का सामना करना पड़ रहा है। वर्त्तमान समय में जिलापदाधिकारी, सारण द्वारा भी सरकार के अपर सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पत्र को संलग्न करते हुए संवेदक पर कड़ी कार्रवाई का निदेश दिया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक के निबंधन को कालीकृत किये जाने की अनुशंसा की गयी ।

प्रबंध निदेशक का कार्यालय
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम
पत्रसंख्या 1500
दिनांक 22/11/2019

दिनांक-04.09.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा के उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त संवेदक से इसके लिए स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-8227 दिनांक-11.09.2019 द्वारा संवेदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली से इसके लिए स्पष्टीकरण पूछा गया ।

संवेदक का स्पष्टीकरण दिनांक-16.09.2019 कार्यालय में प्राप्त हुआ । इस बीच मुख्य अभियंता(उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2497 दिनांक-19.09.2019 द्वारा भी संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की अनुशंसा की गयी ।

दिनांक-15.10.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में समिति द्वारा संवेदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत समिति द्वारा संवेदक के निबंधन को एक वर्ष के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया ।

समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली के निबंधन सं०-100/भवन 2013(तृतीय) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये निलंबित किया जाता हैं ।

ह0/-

(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2019......... पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-संवेदक श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय, बागमली, हाजीपुर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2019 10137 पटना,दिनांक- 20/11/19

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/11/2019

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव